

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

दूरभाष 07662-256635

Email- jddpirew-mp@nic.in

क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/138

रीवा, दिनांक 09/10/2025

प्रति,

श्री.....श्रीवा प्रसाद गौरे
प्राचार्य
शा. हाई/हा.से. स्कूल.....अकिलिया
जिला-रीवा (म.प्र.)

विषय:-कारण बताओ सूचना पत्र।

-----000-----

लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1074 भोपाल दिनांक 20.06.2025 एवं पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1522 भोपाल दिनांक 22.08.2025 के द्वारा हमारे शिक्षक ऐप ई-गवर्नेस प्लेटफार्म के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। जिसमें संभाग अर्न्तगत समस्त कार्यरत संस्था प्रधान एवं शैक्षणिक स्टॉफ की ई-अटेंडेंस लगाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। मानीटरिंग के दौरान पाया गया कि दिनांक 08.10.2025 को आपके द्वारा हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं की गई और न ही अवकाश संबंधी जानकारी अंकित की गयी है। जो आपको सौंपे गये कर्तव्य एवं दायित्व निर्वहन में घोर लापरवाही का द्योतक है, आपका उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन है व दण्डनीय है।

उपर्युक्त लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर लेख है कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपकी आगामी 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ? अतः इस संबंध में आप अपना तथ्यात्मक प्रतिवाद 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के भीतर आपका उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर की इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

पृ0क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/139
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
2. कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रीवा की ओर भेजकर लेख है कि, कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति संबंधीजन को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

M9 9/10/25
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक 09/10/2025

M9
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

दूरभाष 07662-256635

Email- jddpirew-mp@nic.in

क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/138

रीवा, दिनांक 09/10/2025

प्रति,

श्री.....*किरण सिन्हा*.....

प्राचार्य

शा. हाई/हा.से. स्कूल.....*बुधक*.....

जिला-रीवा (म.प्र.)

विषय:-कारण बताओ सूचना पत्र।

-----000-----

लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1074 भोपाल दिनांक 20.06.2025 एवं पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1522 भोपाल दिनांक 22.08.2025 के द्वारा हमारे शिक्षक ऐप ई-गवर्नेंस प्लेटफार्म के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। जिसमें संभाग अर्न्तगत समस्त कार्यरत संस्था प्रधान एवं शैक्षणिक स्टॉफ की ई-अटेंडेंस लगाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। मानीटरिंग के दौरान पाया गया कि दिनांक 08.10.2025 को आपके द्वारा हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं की गई और न ही अवकाश संबंधी जानकारी अंकित की गयी है। जो आपको सौंपे गये कर्तव्य एवं दायित्व निर्वहन में घोर लापरवाही का द्योतक है, आपका उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन है व दण्डनीय है।

उपर्युक्त लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर लेख है कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपकी आगामी 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ? अतः इस संबंध में आप अपना तथ्यात्मक प्रतिवाद 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के भीतर आपका उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर की इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

पृ0क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/139

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
2. कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रीवा की ओर भेजकर लेख है कि, कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति संबंधीजन को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

Mg 9/10/25
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक 09/10/2025

M
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

दूरभाष 07662-256635

Email- jddpirew-mp@nic.in

क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/138

रीवा, दिनांक 09/10/2025

प्रति,

श्री. राजेश शिवराव
प्राचार्य
शा. हाई/हा.से. स्कूल बेलवा पैक
जिला-रीवा (म.प्र.)

विषय:-कारण बताओ सूचना पत्र।

-----000-----

लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1074 भोपाल दिनांक 20.06.2025 एवं पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1522 भोपाल दिनांक 22.08.2025 के द्वारा हमारे शिक्षक ऐप ई-गवर्नेंस प्लेटफार्म के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। जिसमें संभाग अर्न्तगत समस्त कार्यरत संस्था प्रधान एवं शैक्षणिक स्टॉफ की ई-अटेंडेंस लगाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। मानीटरिंग के दौरान पाया गया कि दिनांक 08.10.2025 को आपके द्वारा हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं की गई और न ही अवकाश संबंधी जानकारी अंकित की गयी है। जो आपको सौंपे गये कर्तव्य एवं दायित्व निर्वहन में घोर लापरवाही का द्योतक है, आपका उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन है व दण्डनीय है।

उपर्युक्त लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर लेख है कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपकी आगामी 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ? अतः इस संबंध में आप अपना तथ्यात्मक प्रतिवाद 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के भीतर आपका उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर की इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

पृ०क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/139

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
2. कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रीवा की ओर भेजकर लेख है कि, कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति संबंधीजन को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

राजेश शिवराव
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक 09/10/2025

राजेश शिवराव
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

दूरभाष 07662-256635

Email- jddpirew-mp@nic.in

क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/138

रीवा, दिनांक 09/10/2025

प्रति,

श्री. रामकृष्ण तिवारी

प्राचार्य

शा. हाई/हा.से. स्कूल धवैया

जिला-रीवा (म.प्र.)

विषय:-कारण बताओ सूचना पत्र।

-----000-----

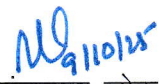
लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1074 भोपाल दिनांक 20.06.2025 एवं पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1522 भोपाल दिनांक 22.08.2025 के द्वारा हमारे शिक्षक ऐप ई-गवर्नेंस प्लेटफार्म के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। जिसमें संभाग अर्न्तगत समस्त कार्यरत संस्था प्रधान एवं शैक्षणिक स्टॉफ की ई-अटेंडेंस लगाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। मानीटरिंग के दौरान पाया गया कि दिनांक 08.10.2025 को आपके द्वारा हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं की गई और न ही अवकाश संबंधी जानकारी अंकित की गयी है। जो आपको सौंपे गये कर्तब्य एवं दायित्व निर्वहन में घोर लापरवाही का द्योतक है, आपका उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन है व दण्डनीय है।

उपर्युक्त लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर लेख है कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपकी आगामी 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ? अतः इस संबंध में आप अपना तथ्यात्मक प्रतिवाद 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के भीतर आपका उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर की इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

पृ0क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/139

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
2. कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रीवा की ओर भेजकर लेख है कि, कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति संबंधीजन को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।


संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक 09/10/2025


संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

दूरभाष 07662-256635

Email- jddpirew-mp@nic.in

क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/ 138

रीवा, दिनांक ०९/10/2025

प्रति,

श्री. कहना रिवारी
प्राचार्य
शा. हाई/हा.से. स्कूल टिकुरी नं.-37
जिला-रीवा (म.प्र.)

विषय:-कारण बताओ सूचना पत्र।

-----000-----

लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1074 भोपाल दिनांक 20.06.2025 एवं पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1522 भोपाल दिनांक 22.08.2025 के द्वारा हमारे शिक्षक ऐप ई-गवर्नेस प्लेटफार्म के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। जिसमें संभाग अर्न्तगत समस्त कार्यरत संस्था प्रधान एवं शैक्षणिक स्टॉफ की ई-अटेंडेंस लगाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। मानीटरिंग के दौरान पाया गया कि दिनांक 08.10.2025 को आपके द्वारा हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं की गई और न ही अवकाश संबंधी जानकारी अंकित की गयी है। जो आपको सौंपे गये कर्तब्य एवं दायित्व निर्वहन में घोर लापरवाही का द्योतक है, आपका उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन है व दण्डनीय है।

उपर्युक्त लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर लेख है कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपकी आगामी 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ? अतः इस संबंध में आप अपना तथ्यात्मक प्रतिवाद 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के भीतर आपका उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर की इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

पृ०क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/ 139

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
2. कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रीवा की ओर भेजकर लेख है कि, कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति संबंधीजन को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक ०९/10/2025

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

दूरभाष 07662-256635

Email- jddpirew-mp@nic.in

क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/ 138

रीवा, दिनांक ०९/10/2025

प्रति,

श्री. रामसुजीव चौधरी

प्राचार्य

शा. हाई/हा.से. स्कूल ला/रावा

जिला-रीवा (म.प्र.)

विषय:-कारण बताओ सूचना पत्र।

-----000-----

लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1074 भोपाल दिनांक 20.06.2025 एवं पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1522 भोपाल दिनांक 22.08.2025 के द्वारा हमारे शिक्षक ऐप ई-गवर्नेंस प्लेटफार्म के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। जिसमें संभाग अर्न्तगत समस्त कार्यरत संस्था प्रधान एवं शैक्षणिक स्टॉफ की ई-अटेंडेंस लगाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। मानीटरिंग के दौरान पाया गया कि दिनांक 08.10.2025 को आपके द्वारा हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं की गई और न ही अवकाश संबंधी जानकारी अंकित की गयी है। जो आपको सौंपे गये कर्तव्य एवं दायित्व निर्वहन में घोर लापरवाही का द्योतक है, आपका उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन है व दण्डनीय है।

उपर्युक्त लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर लेख है कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपकी आगामी 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ? अतः इस संबंध में आप अपना तथ्यात्मक प्रतिवाद 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के भीतर आपका उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर की इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

पृ०क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/ 139

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
2. कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रीवा की ओर भेजकर लेख है कि, कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति संबंधीजन को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक ०९/10/2025

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

दूरभाष 07662-256635

Email- jddpirew-mp@nic.in

क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/ 138

रीवा, दिनांक ०९ / 10 / 2025

प्रति,

श्री. नवीन श्रीवास्तव
प्राचार्य
शा. हाई/हा.से. स्कूल रघुनाथगंज
जिला-रीवा (म.प्र.)

विषय:-कारण बताओ सूचना पत्र।

-----000-----

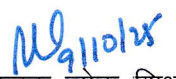
लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1074 भोपाल दिनांक 20.06.2025 एवं पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1522 भोपाल दिनांक 22.08.2025 के द्वारा हमारे शिक्षक ऐप ई-गवर्नेंस प्लेटफार्म के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। जिसमें संभाग अर्न्तगत समस्त कार्यरत संस्था प्रधान एवं शैक्षणिक स्टॉफ की ई-अटेंडेंस लगाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। मानीटरिंग के दौरान पाया गया कि दिनांक 08.10.2025 को आपके द्वारा हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं की गई और न ही अवकाश संबंधी जानकारी अंकित की गयी है। जो आपको सौंपे गये कर्तव्य एवं दायित्व निर्वहन में घोर लापरवाही का द्योतक है, आपका उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन है व दण्डनीय है।

उपर्युक्त लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर लेख है कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपकी आगामी 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ? अतः इस संबंध में आप अपना तथ्यात्मक प्रतिवाद 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के भीतर आपका उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर की इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

पृ०क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/ 139

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
2. कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रीवा की ओर भेजकर लेख है कि, कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति संबंधीजन को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।


संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक ०९ / 10 / 2025


संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

दूरभाष 07662-256635

Email- jddpirew-mp@nic.in

क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/138

रीवा, दिनांक 09/10/2025

प्रति,

श्री.....
प्राचार्य
शा. हाई/हा.से. स्कूल.....
जिला-रीवा (म.प्र.)

विषय:-कारण बताओ सूचना पत्र।

-----000-----

लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1074 भोपाल दिनांक 20.06.2025 एवं पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1522 भोपाल दिनांक 22.08.2025 के द्वारा हमारे शिक्षक ऐप ई-गवर्नेंस प्लेटफार्म के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। जिसमें संभाग अर्न्तगत समस्त कार्यरत संस्था प्रधान एवं शैक्षणिक स्टॉफ की ई-अटेंडेंस लगाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। मानीटरिंग के दौरान पाया गया कि दिनांक 08.10.2025 को आपके द्वारा हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं की गई और न ही अवकाश संबंधी जानकारी अंकित की गयी है। जो आपको सौंपे गये कर्तव्य एवं दायित्व निर्वहन में घोर लापरवाही का द्योतक है, आपका उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन है व दण्डनीय है।

उपर्युक्त लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर लेख है कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपकी आगामी 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ? अतः इस संबंध में आप अपना तथ्यात्मक प्रतिवाद 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के भीतर आपका उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर की इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

पृ0क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/139

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
2. कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रीवा की ओर भेजकर लेख है कि, कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति संबंधीजन को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक 09/10/2025

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

दूरभाष 07662-256635

Email- jddpirew-mp@nic.in

क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/ 138

रीवा, दिनांक 09/10/2025

प्रति,

श्री.....
प्राचार्य
शा. हाई/हा.से. स्कूल.....
जिला-रीवा (म.प्र.)

विषय:-कारण बताओ सूचना पत्र।

-----000-----

लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1074 भोपाल दिनांक 20.06.2025 एवं पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1522 भोपाल दिनांक 22.08.2025 के द्वारा हमारे शिक्षक ऐप ई-गवर्नेंस प्लेटफार्म के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। जिसमें संभाग अर्न्तगत समस्त कार्यरत संस्था प्रधान एवं शैक्षणिक स्टॉफ की ई-अटेंडेंस लगाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। मानीटरिंग के दौरान पाया गया कि दिनांक 08.10.2025 को आपके द्वारा हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं की गई और न ही अवकाश संबंधी जानकारी अंकित की गयी है। जो आपको सौंपे गये कर्तब्य एवं दायित्व निर्वहन में घोर लापरवाही का द्योतक है, आपका उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन है व दण्डनीय है।

उपर्युक्त लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर लेख है कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपकी आगामी 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ? अतः इस संबंध में आप अपना तथ्यात्मक प्रतिवाद 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के भीतर आपका उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर की इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

पृ0क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/ 139

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
2. कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रीवा की ओर भेजकर लेख है कि, कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति संबंधीजन को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक 09/10/2025

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

दूरभाष 07662-256635

Email- jddpirew-mp@nic.in

क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/138

रीवा, दिनांक ०९/10/2025

प्रति,

श्री. देवेन्द्र कुमार यादव

प्राचार्य

शा. हाई/हा.से. स्कूल एन.ए.

जिला-रीवा (म.प्र.)

विषय:-कारण बताओ सूचना पत्र।

-----000-----

लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1074 भोपाल दिनांक 20.06.2025 एवं पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1522 भोपाल दिनांक 22.08.2025 के द्वारा हमारे शिक्षक ऐप ई-गवर्नेंस प्लेटफार्म के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। जिसमें संभाग अर्न्तगत समस्त कार्यरत संस्था प्रधान एवं शैक्षणिक स्टॉफ की ई-अटेंडेंस लगाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। मानीटरिंग के दौरान पाया गया कि दिनांक 08.10.2025 को आपके द्वारा हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं की गई और न ही अवकाश संबंधी जानकारी अंकित की गयी है। जो आपको सौंपे गये कर्तब्य एवं दायित्व निर्वहन में घोर लापरवाही का द्योतक है, आपका उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन है व दण्डनीय है।

उपर्युक्त लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर लेख है कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपकी आगामी 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ? अतः इस संबंध में आप अपना तथ्यात्मक प्रतिवाद 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के भीतर आपका उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर की इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

पृ0क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/139

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
2. कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रीवा की ओर भेजकर लेख है कि, कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति संबंधीजन को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।


संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक ०९/10/2025


संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

दूरभाष 07662-256635

Email- jddpirew-mp@nic.in

क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/ 138

रीवा, दिनांक ०९/10/2025

प्रति,

श्री. केमल नारायण सिंह

प्राचार्य

शा. हाई/हा.से. स्कूल सयपुरकन्दु विथन

जिला-रीवा (म.प्र.)

विषय:-कारण बताओ सूचना पत्र।

-----000-----

लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1074 भोपाल दिनांक 20.06.2025 एवं पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1522 भोपाल दिनांक 22.08.2025 के द्वारा हमारे शिक्षक ऐप ई-गवर्नेंस प्लेटफार्म के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। जिसमें संभाग अर्न्तगत समस्त कार्यरत संस्था प्रधान एवं शैक्षणिक स्टॉफ की ई-अटेंडेंस लगाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। मानीटरिंग के दौरान पाया गया कि दिनांक 08.10.2025 को आपके द्वारा हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं की गई और न ही अवकाश संबंधी जानकारी अंकित की गयी है। जो आपको सौंपे गये कर्तब्य एवं दायित्व निर्वहन में घोर लापरवाही का द्योतक है, आपका उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन है व दण्डनीय है।

उपर्युक्त लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर लेख है कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपकी आगामी 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ? अतः इस संबंध में आप अपना तथ्यात्मक प्रतिवाद 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के भीतर आपका उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर की इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

M. N. 10/25
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक ०९/10/2025

पृ० क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/ 139

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
2. कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रीवा की ओर भेजकर लेख है कि, कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति संबंधीजन को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

M
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

दूरभाष 07662-256635

Email- jddpirew-mp@nic.in

क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/138

रीवा, दिनांक ०९/10/2025

प्रति,

श्री. हरिचंद्र पटेल

प्राचार्य

शा. हाई/हा.से. स्कूल...

जिला-रीवा (म.प्र.)

विषय:-कारण बताओ सूचना पत्र।

-----000-----

लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1074 भोपाल दिनांक 20.06.2025 एवं पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1522 भोपाल दिनांक 22.08.2025 के द्वारा हमारे शिक्षक ऐप ई-गवर्नेंस प्लेटफार्म के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। जिसमें संभाग अर्न्तगत समस्त कार्यरत संस्था प्रधान एवं शैक्षणिक स्टॉफ की ई-अटेंडेंस लगाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। मानीटरिंग के दौरान पाया गया कि दिनांक 08.10.2025 को आपके द्वारा हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं की गई और न ही अवकाश संबंधी जानकारी अंकित की गयी है। जो आपको सौंपे गये कर्तब्य एवं दायित्व निर्वहन में घोर लापरवाही का द्योतक है, आपका उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन है व दण्डनीय है।

उपर्युक्त लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर लेख है कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपकी आगामी 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ? अतः इस संबंध में आप अपना तथ्यात्मक प्रतिवाद 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के भीतर आपका उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर की इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

पृ०क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/139

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
2. कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रीवा की ओर भेजकर लेख है कि, कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति संबंधीजन को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक ०९/10/2025

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

दूरभाष 07662-256635

Email- jddpirew-mp@nic.in

क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/ 138

रीवा, दिनांक ०९ / 10 / 2025

प्रति,

श्री. रमा कौत वर्मा
प्राचार्य
शा. हाई/हा.से. स्कूल कोटरा कला
जिला-रीवा (म.प्र.)

विषय:-कारण बताओ सूचना पत्र।

-----000-----

लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1074 भोपाल दिनांक 20.06.2025 एवं पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1522 भोपाल दिनांक 22.08.2025 के द्वारा हमारे शिक्षक ऐप ई-गवर्नेंस प्लेटफार्म के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। जिसमें संभाग अर्न्तगत समस्त कार्यरत संस्था प्रधान एवं शैक्षणिक स्टॉफ की ई-अटेंडेंस लगाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। मानीटरिंग के दौरान पाया गया कि दिनांक 08.10.2025 को आपके द्वारा हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं की गई और न ही अवकाश संबंधी जानकारी अंकित की गयी है। जो आपको सौंपे गये कर्तब्य एवं दायित्व निर्वहन में घोर लापरवाही का द्योतक है, आपका उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन है व दण्डनीय है।

उपर्युक्त लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर लेख है कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपकी आगामी 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ? अतः इस संबंध में आप अपना तथ्यात्मक प्रतिवाद 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के भीतर आपका उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर की इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

पृ0क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/ 139

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
2. कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रीवा की ओर भेजकर लेख है कि, कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति संबंधीजन को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

म.प्र. शा. शा. शा.
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक ०९ / 10 / 2025

म.प्र. शा. शा. शा.
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

दूरभाष 07662-256635

Email- jddpirew-mp@nic.in

क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/138

रीवा, दिनांक 09/10/2025

प्रति,

श्री.....
प्राचार्य
शा. हाई/हा.से. स्कूल.....
जिला-रीवा (म.प्र.)

विषय:-कारण बताओ सूचना पत्र।

-----000-----

लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1074 भोपाल दिनांक 20.06.2025 एवं पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1522 भोपाल दिनांक 22.08.2025 के द्वारा हमारे शिक्षक ऐप ई-गवर्नेंस प्लेटफार्म के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। जिसमें संभाग अर्न्तगत समस्त कार्यरत संस्था प्रधान एवं शैक्षणिक स्टॉफ की ई-अटेंडेंस लगाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। मानीटरिंग के दौरान पाया गया कि दिनांक 08.10.2025 को आपके द्वारा हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं की गई और न ही अवकाश संबंधी जानकारी अंकित की गयी है। जो आपको सौंपे गये कर्तब्य एवं दायित्व निर्वहन में घोर लापरवाही का द्योतक है, आपका उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन है व दण्डनीय है।

उपर्युक्त लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर लेख है कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपकी आगामी 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ? अतः इस संबंध में आप अपना तथ्यात्मक प्रतिवाद 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के भीतर आपका उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर की इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

पृ0क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/139

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
2. कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रीवा की ओर भेजकर लेख है कि, कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति संबंधीजन को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक /10/2025

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

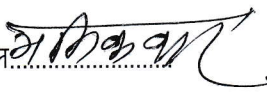
दूरभाष 07662-256635

Email- jddpirew-mp@nic.in

क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/ 138

रीवा, दिनांक 09/10/2025

प्रति,

श्री. 
प्राचार्य
शा. हाई/हा.से. स्कूल 
जिला-रीवा (म.प्र.)

विषय:-कारण बताओ सूचना पत्र।

-----000-----

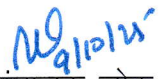
लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1074 भोपाल दिनांक 20.06.2025 एवं पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1522 भोपाल दिनांक 22.08.2025 के द्वारा हमारे शिक्षक ऐप ई-गवर्नेंस प्लेटफार्म के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। जिसमें संभाग अर्न्तगत समस्त कार्यरत संस्था प्रधान एवं शैक्षणिक स्टॉफ की ई-अटेंडेंस लगाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। मानीटरिंग के दौरान पाया गया कि दिनांक 08.10.2025 को आपके द्वारा हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं की गई और न ही अवकाश संबंधी जानकारी अंकित की गयी है। जो आपको सौंपे गये कर्तव्य एवं दायित्व निर्वहन में घोर लापरवाही का द्योतक है, आपका उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन है व दण्डनीय है।

उपर्युक्त लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर लेख है कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपकी आगामी 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ? अतः इस संबंध में आप अपना तथ्यात्मक प्रतिवाद 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के भीतर आपका उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर की इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

पृ0क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/ 139

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
2. कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रीवा की ओर भेजकर लेख है कि, कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति संबंधीजन को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।


संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक /10/2025


संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

दूरभाष 07662-256635

Email- jddpirew-mp@nic.in

क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/ 138

रीवा, दिनांक ०९/10/2025

प्रति,

श्री. देविका प्रसाद सोनी
प्राचार्य
शा. हाई/हा.से. स्कूल सुमेरू
जिला-रीवा (म.प्र.)

विषय:-कारण बताओ सूचना पत्र।

-----000-----

लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1074 भोपाल दिनांक 20.06.2025 एवं पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1522 भोपाल दिनांक 22.08.2025 के द्वारा हमारे शिक्षक ऐप ई-गवर्नेंस प्लेटफार्म के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। जिसमें संभाग अर्न्तगत समस्त कार्यरत संस्था प्रधान एवं शैक्षणिक स्टाफ की ई-अटेंडेंस लगाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। मानीटरिंग के दौरान पाया गया कि दिनांक 08.10.2025 को आपके द्वारा हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं की गई और न ही अवकाश संबंधी जानकारी अंकित की गयी है। जो आपको सौंपे गये कर्तव्य एवं दायित्व निर्वहन में घोर लापरवाही का द्योतक है, आपका उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन है व दण्डनीय है।

उपर्युक्त लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर लेख है कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपकी आगामी 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ? अतः इस संबंध में आप अपना तथ्यात्मक प्रतिवाद 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के भीतर आपका उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर की इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

पृ0क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/ 138

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
2. कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रीवा की ओर भेजकर लेख है कि, कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति संबंधीजन को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक /10/2025

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

दूरभाष 07662-256635

Email- jddpirew-mp@nic.in

क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/ 138

रीवा, दिनांक ०९/10/2025

प्रति,

श्री.....
प्राचार्य
शा. हाई/हा.से. स्कूल.....
जिला-रीवा (म.प्र.)

विषय:-कारण बताओ सूचना पत्र।

-----000-----

लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1074 भोपाल दिनांक 20.06.2025 एवं पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1522 भोपाल दिनांक 22.08.2025 के द्वारा हमारे शिक्षक ऐप ई-गवर्नेंस प्लेटफार्म के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। जिसमें संभाग अर्न्तगत समस्त कार्यरत संस्था प्रधान एवं शैक्षणिक स्टॉफ की ई-अटेंडेंस लगाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। मानीटरिंग के दौरान पाया गया कि दिनांक 08.10.2025 को आपके द्वारा हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं की गई और न ही अवकाश संबंधी जानकारी अंकित की गयी है। जो आपको सौंपे गये कर्तब्य एवं दायित्व निर्वहन में घोर लापरवाही का द्योतक है, आपका उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन है व दण्डनीय है।

उपर्युक्त लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर लेख है कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपकी आगामी 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ? अतः इस संबंध में आप अपना तथ्यात्मक प्रतिवाद 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के भीतर आपका उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर की इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

पृ0क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/ 139

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
2. कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रीवा की ओर भेजकर लेख है कि, कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति संबंधीजन को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक /10/2025

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

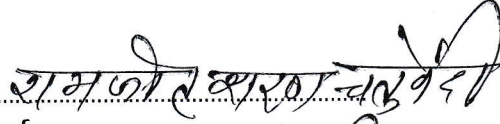
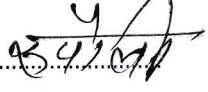
दूरभाष 07662-256635

Email- jddpirew-mp@nic.in

क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/138

रीवा, दिनांक 09/10/2025

प्रति,

श्री. 
प्राचार्य
शा. हाई/हा.से. स्कूल 
जिला-रीवा (म.प्र.)

विषय:-कारण बताओ सूचना पत्र।

-----000-----

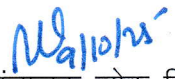
लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1074 भोपाल दिनांक 20.06.2025 एवं पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1522 भोपाल दिनांक 22.08.2025 के द्वारा हमारे शिक्षक ऐप ई-गवर्नेंस प्लेटफार्म के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। जिसमें संभाग अर्न्तगत समस्त कार्यरत संस्था प्रधान एवं शैक्षणिक स्टॉफ की ई-अटेंडेंस लगाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। मानीटरिंग के दौरान पाया गया कि दिनांक 08.10.2025 को आपके द्वारा हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं की गई और न ही अवकाश संबंधी जानकारी अंकित की गयी है। जो आपको सौंपे गये कर्तव्य एवं दायित्व निर्वहन में घोर लापरवाही का द्योतक है, आपका उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन है व दण्डनीय है।

उपर्युक्त लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर लेख है कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपकी आगामी 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ? अतः इस संबंध में आप अपना तथ्यात्मक प्रतिवाद 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के भीतर आपका उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर की इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

पृ0क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/139

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
2. कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रीवा की ओर भेजकर लेख है कि, कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति संबंधीजन को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।


संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक /10/2025


संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

दूरभाष 07662-256635

Email- jddpirew-mp@nic.in

क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/138

रीवा, दिनांक 09/10/2025

प्रति,

श्री. राजेन्द्र कुमार जैन
प्राचार्य
शा. हाई/हा.से. स्कूल. बरडी
जिला-रीवा (म.प्र.)

विषय:-कारण बताओ सूचना पत्र।

-----000-----

लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1074 भोपाल दिनांक 20.06.2025 एवं पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1522 भोपाल दिनांक 22.08.2025 के द्वारा हमारे शिक्षक ऐप ई-गवर्नेंस प्लेटफार्म के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। जिसमें संभाग अर्न्तगत समस्त कार्यरत संस्था प्रधान एवं शैक्षणिक स्टॉफ की ई-अटेंडेंस लगाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। मानीटरिंग के दौरान पाया गया कि दिनांक 08.10.2025 को आपके द्वारा हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं की गई और न ही अवकाश संबंधी जानकारी अंकित की गयी है। जो आपको सौंपे गये कर्तब्य एवं दायित्व निर्वहन में घोर लापरवाही का द्योतक है, आपका उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन है व दण्डनीय है।

उपर्युक्त लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर लेख है कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपकी आगामी 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ? अतः इस संबंध में आप अपना तथ्यात्मक प्रतिवाद 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के भीतर आपका उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर की इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

पृ0क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/138

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
2. कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रीवा की ओर भेजकर लेख है कि, कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति संबंधीजन को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक 09/10/2025

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

दूरभाष 07662-256635

Email- jddpirew-mp@nic.in

क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/138

रीवा, दिनांक 09/10/2025

प्रति,

श्री. राजेश सिंह

प्राचार्य

शा. हाई/हा.से. स्कूल अजगढ़

जिला-रीवा (म.प्र.)

विषय:-कारण बताओ सूचना पत्र।

-----000-----

लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1074 भोपाल दिनांक 20.06.2025 एवं पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1522 भोपाल दिनांक 22.08.2025 के द्वारा हमारे शिक्षक ऐप ई-गवर्नेंस प्लेटफार्म के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। जिसमें संभाग अर्न्तगत समस्त कार्यरत संस्था प्रधान एवं शैक्षणिक स्टॉफ की ई-अटेंडेंस लगाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। मानीटरिंग के दौरान पाया गया कि दिनांक 08.10.2025 को आपके द्वारा हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं की गई और न ही अवकाश संबंधी जानकारी अंकित की गयी है। जो आपको सौंपे गये कर्तब्य एवं दायित्व निर्वहन में घोर लापरवाही का द्योतक है, आपका उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन है व दण्डनीय है।

उपर्युक्त लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर लेख है कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपकी आगामी 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ? अतः इस संबंध में आप अपना तथ्यात्मक प्रतिवाद 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के भीतर आपका उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर की इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

पृ0क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/139

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
2. कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रीवा की ओर भेजकर लेख है कि, कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति संबंधीजन को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।


संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक 09/10/2025


संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

दूरभाष 07662-256635

Email- jddpirew-mp@nic.in

क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/138

रीवा, दिनांक ०९/10/2025

प्रति,

श्री. चेन्नुर नारायण रेड्डी
प्राचार्य
शा. हाई/हा.से. स्कूल गोड्डेर
जिला-रीवा (म.प्र.)

विषय:-कारण बताओ सूचना पत्र।

-----000-----

लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1074 भोपाल दिनांक 20.06.2025 एवं पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1522 भोपाल दिनांक 22.08.2025 के द्वारा हमारे शिक्षक ऐप ई-गवर्नेंस प्लेटफार्म के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। जिसमें संभाग अर्न्तगत समस्त कार्यरत संस्था प्रधान एवं शैक्षणिक स्टॉफ की ई-अटेंडेंस लगाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। मानीटरिंग के दौरान पाया गया कि दिनांक 08.10.2025 को आपके द्वारा हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं की गई और न ही अवकाश संबंधी जानकारी अंकित की गयी है। जो आपको सौंपे गये कर्तब्य एवं दायित्व निर्वहन में घोर लापरवाही का द्योतक है, आपका उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन है व दण्डनीय है।

उपर्युक्त लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर लेख है कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपकी आगामी 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ? अतः इस संबंध में आप अपना तथ्यात्मक प्रतिवाद 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के भीतर आपका उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर की इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

पृ0क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/139

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
2. कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रीवा की ओर भेजकर लेख है कि, कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति संबंधीजन को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक ०९/10/2025

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

दूरभाष 07662-256635

Email- jddpirew-mp@nic.in

क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/ 138

रीवा, दिनांक ०९/10/2025

प्रति,

श्री. जयप्रकाश जायसवाल
प्राचार्य
शा. हाई/हा.से. स्कूल मालिहा 80-1,
जिला-रीवा (म.प्र.)

विषय:-कारण बताओ सूचना पत्र।

-----000-----

लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1074 भोपाल दिनांक 20.06.2025 एवं पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1522 भोपाल दिनांक 22.08.2025 के द्वारा हमारे शिक्षक ऐप ई-गवर्नेंस प्लेटफार्म के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। जिसमें संभाग अर्न्तगत समस्त कार्यरत संस्था प्रधान एवं शैक्षणिक स्टाफ की ई-अटेंडेंस लगाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। मानीटरिंग के दौरान पाया गया कि दिनांक 08.10.2025 को आपके द्वारा हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं की गई और न ही अवकाश संबंधी जानकारी अंकित की गयी है। जो आपको सौंपे गये कर्तब्य एवं दायित्व निर्वहन में घोर लापरवाही का द्योतक है, आपका उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन है व दण्डनीय है।

उपर्युक्त लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर लेख है कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपकी आगामी 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ? अतः इस संबंध में आप अपना तथ्यात्मक प्रतिवाद 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के भीतर आपका उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर की इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

पृ0क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/ 139

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
2. कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रीवा की ओर भेजकर लेख है कि, कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति संबंधीजन को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

Me
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण

रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

रीवा, दिनांक ०९/10/2025

Me
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

दूरभाष 07662-256635

Email- jddpirew-mp@nic.in

क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/138

रीवा, दिनांक 09/10/2025

प्रति,

श्री. अरुण कुमार तिवारी
प्राचार्य
शा. हाई/हा.से. स्कूल मांडल स्कूल
जिला-रीवा (म.प्र.)

विषय:-कारण बताओ सूचना पत्र।

-----000-----

लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1074 भोपाल दिनांक 20.06.2025 एवं पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1522 भोपाल दिनांक 22.08.2025 के द्वारा हमारे शिक्षक ऐप ई-गवर्नेस प्लेटफार्म के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। जिसमें संभाग अर्न्तगत समस्त कार्यरत संस्था प्रधान एवं शैक्षणिक स्टॉफ की ई-अटेंडेंस लगाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। मानीटरिंग के दौरान पाया गया कि दिनांक 08.10.2025 को आपके द्वारा हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं की गई और न ही अवकाश संबंधी जानकारी अंकित की गयी है। जो आपको सौंपे गये कर्तव्य एवं दायित्व निर्वहन में घोर लापरवाही का द्योतक है, आपका उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन है व दण्डनीय है।

उपर्युक्त लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर लेख है कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपकी आगामी 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ? अतः इस संबंध में आप अपना तथ्यात्मक प्रतिवाद 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के भीतर आपका उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर की इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

पृ0क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/139

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
2. कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रीवा की ओर भेजकर लेख है कि, कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति संबंधीजन को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

म.प्र. 09/10/25
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक 09/10/2025

म.
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

दूरभाष 07662-256635

Email- jddpirew-mp@nic.in

क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/138

रीवा, दिनांक 09/10/2025

प्रति,

श्री. मिथिलेश सिंह बलवान
प्राचार्य
शा. हाई/हा.से. स्कूल कचरा एस. कू
जिला-रीवा (म.प्र.)

विषय:-कारण बताओ सूचना पत्र।

-----000-----

लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1074 भोपाल दिनांक 20.06.2025 एवं पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1522 भोपाल दिनांक 22.08.2025 के द्वारा हमारे शिक्षक ऐप ई-गवर्नेंस प्लेटफार्म के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। जिसमें संभाग अन्तर्गत समस्त कार्यरत संस्था प्रधान एवं शैक्षणिक स्टॉफ की ई-अटेंडेंस लगाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। मानीटरिंग के दौरान पाया गया कि दिनांक 08.10.2025 को आपके द्वारा हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं की गई और न ही अवकाश संबंधी जानकारी अंकित की गयी है। जो आपको सौंपे गये कर्तव्य एवं दायित्व निर्वहन में घोर लापरवाही का द्योतक है, आपका उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन है व दण्डनीय है।

उपर्युक्त लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर लेख है कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपकी आगामी 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ? अतः इस संबंध में आप अपना तथ्यात्मक प्रतिवाद 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के भीतर आपका उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर की इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

पृ० क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/138
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
2. कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रीवा की ओर भेजकर लेख है कि, कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति संबंधीजन को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।


संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक 09/10/2025


संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

दूरभाष 07662-256635

Email- jddpirew-mp@nic.in

क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/ 138

रीवा, दिनांक 09/10/2025

प्रति,

श्री.....

प्राचार्य

शा. हाई/हा.से. स्कूल.....

जिला-रीवा (म.प्र.)

विषय:-कारण बताओ सूचना पत्र।

-----000-----

लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1074 भोपाल दिनांक 20.06.2025 एवं पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1522 भोपाल दिनांक 22.08.2025 के द्वारा हमारे शिक्षक ऐप ई-गवर्नेंस प्लेटफार्म के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। जिसमें संभाग अर्न्तगत समस्त कार्यरत संस्था प्रधान एवं शैक्षणिक स्टॉफ की ई-अटेंडेंस लगाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। मानीटरिंग के दौरान पाया गया कि दिनांक 08.10.2025 को आपके द्वारा हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं की गई और न ही अवकाश संबंधी जानकारी अंकित की गयी है। जो आपको सौंपे गये कर्तब्य एवं दायित्व निर्वहन में घोर लापरवाही का द्योतक है, आपका उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन है व दण्डनीय है।

उपर्युक्त लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर लेख है कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपकी आगामी 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ? अतः इस संबंध में आप अपना तथ्यात्मक प्रतिवाद 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के भीतर आपका उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर की इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

पृ0क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/ 139

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
2. कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रीवा की ओर भेजकर लेख है कि, कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति संबंधीजन को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक 09/10/2025

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

दूरभाष 07662-256635

Email- jddpirew-mp@nic.in

क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/138

रीवा, दिनांक 09/10/2025

प्रति,

श्री. रामलाल दीपाकर
प्राचार्य
शा. हाई/हा.से. स्कूल मानीक
जिला-रीवा (म.प्र.)

विषय:-कारण बताओ सूचना पत्र।

-----000-----

लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1074 भोपाल दिनांक 20.06.2025 एवं पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1522 भोपाल दिनांक 22.08.2025 के द्वारा हमारे शिक्षक ऐप ई-गवर्नेस प्लेटफार्म के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। जिसमें संभाग अर्न्तगत समस्त कार्यरत संस्था प्रधान एवं शैक्षणिक स्टॉफ की ई-अटेंडेंस लगाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। मानीटरिंग के दौरान पाया गया कि दिनांक 08.10.2025 को आपके द्वारा हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं की गई और न ही अवकाश संबंधी जानकारी अंकित की गयी है। जो आपको सौंपे गये कर्तव्य एवं दायित्व निर्वहन में घोर लापरवाही का द्योतक है, आपका उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन है व दण्डनीय है।

उपर्युक्त लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर लेख है कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपकी आगामी 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ? अतः इस संबंध में आप अपना तथ्यात्मक प्रतिवाद 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के भीतर आपका उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर की इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

पृ०क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/139

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
2. कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रीवा की ओर भेजकर लेख है कि, कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति संबंधीजन को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

9/10/25
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक 09/10/2025

W
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

दूरभाष 07662-256635

Email- jddpirew-mp@nic.in

क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/138

रीवा, दिनांक 09/10/2025

प्रति,

श्री महेन्द्र कुमार त्रिवेदी

प्राचार्य

शा. हाई/हा.से. स्कूल करीमपुर पररिया

जिला-रीवा (म.प्र.)

विषय:-कारण बताओ सूचना पत्र।

-----000-----

लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1074 भोपाल दिनांक 20.06.2025 एवं पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1522 भोपाल दिनांक 22.08.2025 के द्वारा हमारे शिक्षक ऐप ई-गवर्नेस प्लेटफार्म के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। जिसमें संभाग अर्न्तगत समस्त कार्यरत संस्था प्रधान एवं शैक्षणिक स्टॉफ की ई-अटेंडेंस लगाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। मानीटरिंग के दौरान पाया गया कि दिनांक 08.10.2025 को आपके द्वारा हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं की गई और न ही अवकाश संबंधी जानकारी अंकित की गयी है। जो आपको सौंपे गये कर्तव्य एवं दायित्व निर्वहन में घोर लापरवाही का द्योतक है, आपका उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन है व दण्डनीय है।

उपर्युक्त लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर लेख है कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपकी आगामी 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ? अतः इस संबंध में आप अपना तथ्यात्मक प्रतिवाद 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के भीतर आपका उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर की इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

पृ0क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/139

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
2. कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रीवा की ओर भेजकर लेख है कि, कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति संबंधीजन को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।


संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक 09/10/2025


संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

दूरभाष 07662-256635

Email- jddpirew-mp@nic.in

क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/138

रीवा, दिनांक ०९ / 10 / 2025

प्रति,

श्री... राजेश कुमार वाजपेयी
प्राचार्य
शा. हाई/हा.से. स्कूल... भमरा
जिला-रीवा (म.प्र.)

विषय:-कारण बताओ सूचना पत्र।

-----000-----

लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1074 भोपाल दिनांक 20.06.2025 एवं पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1522 भोपाल दिनांक 22.08.2025 के द्वारा हमारे शिक्षक ऐप ई-गवर्नेस प्लेटफार्म के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। जिसमें संभाग अर्न्तगत समस्त कार्यरत संस्था प्रधान एवं शैक्षणिक स्टॉफ की ई-अटेंडेंस लगाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। मानीटरिंग के दौरान पाया गया कि दिनांक 08.10.2025 को आपके द्वारा हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं की गई और न ही अवकाश संबंधी जानकारी अंकित की गयी है। जो आपको सौंपे गये कर्तव्य एवं दायित्व निर्वहन में घोर लापरवाही का द्योतक है, आपका उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन है व दण्डनीय है।

उपर्युक्त लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर लेख है कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपकी आगामी 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ? अतः इस संबंध में आप अपना तथ्यात्मक प्रतिवाद 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के भीतर आपका उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर की इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

पृ0क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/139

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
2. कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रीवा की ओर भेजकर लेख है कि, कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति संबंधीजन को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक ०९ / 10 / 2025

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

दूरभाष 07662-256635

Email- jddpirew-mp@nic.in

क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/138

रीवा, दिनांक 09/10/2025

प्रति,

श्री. केशव कुमार शुक्ल
प्राचार्य
शा. हाई/हा.से. स्कूल डमरी
जिला-रीवा (म.प्र.)

विषय:-कारण बताओ सूचना पत्र।

-----000-----

लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1074 भोपाल दिनांक 20.06.2025 एवं पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1522 भोपाल दिनांक 22.08.2025 के द्वारा हमारे शिक्षक ऐप ई-गवर्नेंस प्लेटफार्म के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। जिसमें संभाग अर्न्तगत समस्त कार्यरत संस्था प्रधान एवं शैक्षणिक स्टॉफ की ई-अटेंडेंस लगाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। मानीटरिंग के दौरान पाया गया कि दिनांक 08.10.2025 को आपके द्वारा हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं की गई और न ही अवकाश संबंधी जानकारी अंकित की गयी है। जो आपको सौंपे गये कर्तव्य एवं दायित्व निर्वहन में घोर लापरवाही का द्योतक है, आपका उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन है व दण्डनीय है।

उपर्युक्त लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर लेख है कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपकी आगामी 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ? अतः इस संबंध में आप अपना तथ्यात्मक प्रतिवाद 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के भीतर आपका उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर की इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

पृ0क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/139

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
2. कमिशनर, रीवा संभाग रीवा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रीवा की ओर भेजकर लेख है कि, कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति संबंधीजन को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

M. G. G. G.
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक 09/10/2025

NW
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

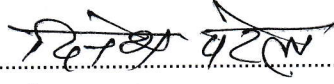
दूरभाष 07662-256635

Email- jddpirew-mp@nic.in

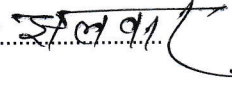
क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/ 138

रीवा, दिनांक 09/10/2025

प्रति,

श्री. 

प्राचार्य

शा. हाई/हा.से. स्कूल 

जिला-रीवा (म.प्र.)

विषय:-कारण बताओ सूचना पत्र।

-----000-----

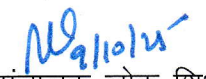
लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1074 भोपाल दिनांक 20.06.2025 एवं पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1522 भोपाल दिनांक 22.08.2025 के द्वारा हमारे शिक्षक ऐप ई-गवर्नेंस प्लेटफार्म के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। जिसमें संभाग अर्न्तगत समस्त कार्यरत संस्था प्रधान एवं शैक्षणिक स्टॉफ की ई-अटेंडेंस लगाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। मानीटरिंग के दौरान पाया गया कि दिनांक 08.10.2025 को आपके द्वारा हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं की गई और न ही अवकाश संबंधी जानकारी अंकित की गयी है। जो आपको सौंपे गये कर्तव्य एवं दायित्व निर्वहन में घोर लापरवाही का द्योतक है, आपका उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन है व दण्डनीय है।

उपर्युक्त लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर लेख है कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपकी आगामी 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ? अतः इस संबंध में आप अपना तथ्यात्मक प्रतिवाद 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के भीतर आपका उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर की इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

पृ0क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/ 139

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
2. कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रीवा की ओर भेजकर लेख है कि, कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति संबंधीजन को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।


संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक 09/10/2025


संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

दूरभाष 07662-256635

Email- jddpirow-mp@nic.in

क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/138

रीवा, दिनांक 09/10/2025

प्रति,

श्री.....
प्राचार्य
शा. हाई/हा.से. स्कूल.....
जिला-रीवा (म.प्र.)

विषय:-कारण बताओ सूचना पत्र।

-----000-----

लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1074 भोपाल दिनांक 20.06.2025 एवं पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1522 भोपाल दिनांक 22.08.2025 के द्वारा हमारे शिक्षक ऐप ई-गवर्नेंस प्लेटफार्म के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। जिसमें संभाग अर्न्तगत समस्त कार्यरत संस्था प्रधान एवं शैक्षणिक स्टॉफ की ई-अटेंडेंस लगाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। मानीटरिंग के दौरान पाया गया कि दिनांक 08.10.2025 को आपके द्वारा हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं की गई और न ही अवकाश संबंधी जानकारी अंकित की गयी है। जो आपको सौंपे गये कर्तव्य एवं दायित्व निर्वहन में घोर लापरवाही का द्योतक है, आपका उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन है व दण्डनीय है।

उपर्युक्त लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर लेख है कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपकी आगामी 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ? अतः इस संबंध में आप अपना तथ्यात्मक प्रतिवाद 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के भीतर आपका उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर की इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

पृ0क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/139

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
2. कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रीवा की ओर भेजकर लेख है कि, कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति संबंधीजन को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक 09/10/2025

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

दूरभाष 07662-256635

Email- jddpirew-mp@nic.in

क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/ 138

रीवा, दिनांक 09/10/2025

प्रति,

श्री. महेन्द्र प्रसाद सोरेल
प्राचार्य
शा. हाई/हा.से. स्कूल बेमरिया, ख०
जिला-रीवा (म.प्र.)

विषय:-कारण बताओ सूचना पत्र।

-----000-----

लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1074 भोपाल दिनांक 20.06.2025 एवं पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1522 भोपाल दिनांक 22.08.2025 के द्वारा हमारे शिक्षक ऐप ई-गवर्नेंस प्लेटफार्म के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। जिसमें संभाग अर्न्तगत समस्त कार्यरत संस्था प्रधान एवं शैक्षणिक स्टॉफ की ई-अटेंडेंस लगाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। मानीटरिंग के दौरान पाया गया कि दिनांक 08.10.2025 को आपके द्वारा हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं की गई और न ही अवकाश संबंधी जानकारी अंकित की गयी है। जो आपको सौंपे गये कर्तव्य एवं दायित्व निर्वहन में घोर लापरवाही का द्योतक है, आपका उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन है व दण्डनीय है।

उपर्युक्त लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर लेख है कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपकी आगामी 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ? अतः इस संबंध में आप अपना तथ्यात्मक प्रतिवाद 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के भीतर आपका उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर की इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

पृ०क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/ 139

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
2. कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रीवा की ओर भेजकर लेख है कि, कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति संबंधीजन को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

महेन्द्र प्रसाद सोरेल
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक 09/10/2025

महेन्द्र प्रसाद सोरेल
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

दूरभाष 07662-256635

Email- jddpirew-mp@nic.in

क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/138

रीवा, दिनांक ०९/10/2025

प्रति,

श्री... शिवप्रसाद सोरे
प्राचार्य
शा. हाई/हा.से. स्कूल... गालस सिरमौर
जिला-रीवा (म.प्र.)

विषय:-कारण बताओ सूचना पत्र।

-----000-----

लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1074 भोपाल दिनांक 20.06.2025 एवं पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1522 भोपाल दिनांक 22.08.2025 के द्वारा हमारे शिक्षक ऐप ई-गवर्नेस प्लेटफार्म के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। जिसमें संभाग अर्न्तगत समस्त कार्यरत संस्था प्रधान एवं शैक्षणिक स्टॉफ की ई-अटेंडेंस लगाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। मानीटरिंग के दौरान पाया गया कि दिनांक 08.10.2025 को आपके द्वारा हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं की गई और न ही अवकाश संबंधी जानकारी अंकित की गयी है। जो आपको सौंपे गये कर्तव्य एवं दायित्व निर्वहन में घोर लापरवाही का द्योतक है, आपका उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन है व दण्डनीय है।

उपर्युक्त लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर लेख है कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपकी आगामी 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ? अतः इस संबंध में आप अपना तथ्यात्मक प्रतिवाद 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के भीतर आपका उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर की इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

पृ०क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/139

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
2. कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रीवा की ओर भेजकर लेख है कि, कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति संबंधीजन को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

Mallikarjun
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक ०९/10/2025

M
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

दूरभाष 07662-256635

Email- jddpirew-mp@nic.in

क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/138

रीवा, दिनांक ०९/10/2025

प्रति,

श्री. राजराज प्रसाद मिश्रा

प्राचार्य

शा. हाई/हा.से. स्कूल गलस पैठण
जिला-रीवा (म.प्र.)

विषय:-कारण बताओ सूचना पत्र।

-----000-----

लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1074 भोपाल दिनांक 20.06.2025 एवं पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1522 भोपाल दिनांक 22.08.2025 के द्वारा हमारे शिक्षक ऐप ई-गवर्नेस प्लेटफार्म के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। जिसमें संभाग अर्न्तगत समस्त कार्यरत संस्था प्रधान एवं शैक्षणिक स्टॉफ की ई-अटेंडेंस लगाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। मानीटरिंग के दौरान पाया गया कि दिनांक 08.10.2025 को आपके द्वारा हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं की गई और न ही अवकाश संबंधी जानकारी अंकित की गयी है। जो आपको सौंपे गये कर्तव्य एवं दायित्व निर्वहन में घोर लापरवाही का द्योतक है, आपका उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन है व दण्डनीय है।

उपर्युक्त लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर लेख है कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपकी आगामी 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ? अतः इस संबंध में आप अपना तथ्यात्मक प्रतिवाद 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के भीतर आपका उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर की इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

पृ०क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/139

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
2. कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रीवा की ओर भेजकर लेख है कि, कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति संबंधीजन को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक ०९/10/2025

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)

दूरभाष 07662-256635

Email- jddpirew-mp@nic.in

क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/138

रीवा, दिनांक 09/10/2025

प्रति,

श्री. इकबाल मोहम्मद कंसारी
प्राचार्य
शा. हाई/हा.से. स्कूल महुली
जिला-रीवा (म.प्र.)

विषय:-कारण बताओ सूचना पत्र।

-----000-----

लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1074 भोपाल दिनांक 20.06.2025 एवं पत्र क्रमांक/अकादमिक/ह.शि./2025/1522 भोपाल दिनांक 22.08.2025 के द्वारा हमारे शिक्षक ऐप ई-गवर्नेंस प्लेटफार्म के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। जिसमें संभाग अर्न्तगत समस्त कार्यरत संस्था प्रधान एवं शैक्षणिक स्टॉफ की ई-अटेंडेंस लगाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। मानीटरिंग के दौरान पाया गया कि दिनांक 08.10.2025 को आपके द्वारा हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं की गई और न ही अवकाश संबंधी जानकारी अंकित की गयी है। जो आपको सौंपे गये कर्तव्य एवं दायित्व निर्वहन में घोर लापरवाही का द्योतक है, आपका उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 का उल्लंघन है व दण्डनीय है।

उपर्युक्त लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर लेख है कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए आपकी आगामी 01 (एक) वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से अवरुद्ध करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये ? अतः इस संबंध में आप अपना तथ्यात्मक प्रतिवाद 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के भीतर आपका उत्तर प्राप्त न होने पर यह मानकर की इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है, नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

पृ0क्रमांक/सर्त.-1/ई-अटे./2025/139

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
2. कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी जिला-रीवा की ओर भेजकर लेख है कि, कारण बताओ सूचना पत्र की प्रति संबंधीजन को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

M. J. J. J.
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)
रीवा, दिनांक 09/10/2025

M
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण
रीवा संभाग रीवा (म.प्र.)